

case those personnel who were not sanctioned their annual leave during 1972 and 1973 and who are to be disembodied by 31st March, 1973 have been permitted to take their annual leave. The question of extending the benefit to T.A. personnel who will be disembodied after 31st March, 1973 is under the consideration of Government.

देश की आवश्यकता की तुलना में उत्पादन

837. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस्पात की आवश्यकता और उत्पादन कितना है; और

(ख) उत्पादन और आवश्यकता के बीच अन्तर को कैसे और कब तक समाप्त किया जायेगा ?

†[*PRODUCTION vis-a-vis IN THE COUNTRY*

837. SHRI J. P. YADAV: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) what is the requirement and production of steel in the country; and

(b) by when and how the difference between production and requirement is likely to be eliminated?]

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) पांचवी योजना के लिए लोहे और इस्पात की टास्क-फोर्स के मूल्यांकन के अनुसार 1973-74 में विक्रय साधारण इस्पात की मांग लगभग 67 लाख टन है। इस टास्क-फोर्स के अनुमान के अनुसार देश में लगभग 58 लाख टन साधारण इस्पात का उत्पादन होगा।

(ख) ऐसी संभावना है कि बोकारो इस्पात कारखाने के चालू हो जाने तथा वर्तमान इस्पात कारखानों द्वारा अपनी निर्धारित क्षमता के 90 प्रतिशत क्षमता पर उत्पादन करने लगने पर दो या तीन वर्ष में इस्पात के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकेगी।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SUKHDEV PRASAD): (a) The demand for saleable mild steel in 1973-74, according to the estimates of the Task Force on Iron & Steel for the V Plan, is about 6.7 million tonnes. The domestic availability, according to the estimate of the same Task Force, is likely to be about 5.8 million tonnes.

(b) It is expected that near self-sufficiency in steel production can be reached in two or three years with the commissioning of Bokaro Steel Plant and the existing steel plants attaining production of 90% of their rated capacity.]

लड़ाई में मारे गए रक्षा कर्मचारियों की संख्या

838. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत युद्ध के दौरान कितने सैनिक मारे गये, कितने बंदी बनाए गए और कितने अब भी लापता हैं; और

(ख) लड़ाई में मारे गए सैनिकों के परिवारों को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने क्रमशः कितनी और कैसी सहायता दी है; क्या सरकार उनके परिवारों को रोजगार में बरीयता देगी ?

†[NUMBER OF DEFENCE PERSONNEL KILLED IN ACTION

838. SHRI J.P. YADAV: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the number of soldiers killed during the last war together with the number of those taken prisoner and those who are still missing ; and

(b) the nature and quantum of assistance given by the Central and State Governments respectively to the families of soldiers killed in action; and whether Government will give preference to their families in giving employment?]

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) गत युद्ध में 3,557 सैनिक मारे गये थे। 528 को बन्दी बनाया गया था तथा 210 लापता हैं।

(ख) युद्ध में मारे गये सैनिकों के असहाय हुए परिवारों तथा अन्य आश्रितों के पुनर्वास के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा एक-मुश्त रियायते दी गई हैं। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण उदार दर पेंशन का दिया जाना है, जिसके अन्तर्गत जे० सी० ओ०/जवान के नामांकित वारिस मृतक के द्वारा प्राप्त किए गए अंतिम वेतन के समान आजीवन मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं। अफसर की विधवा मृतक अफसर के द्वारा मृत्यु के समय धारण किए गए पद के मूल वेतन का तीन-चौथाई पेंशन सेवानिवृत्ति की अनुमानित तारीख तक या 7 वर्ष तक इसमें जो भी बाद में हो, प्राप्त करती है, तदुपरान्त रैंक की सामान्य पेंशन प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, मारे गए कामिकों के बच्चे प्रथम डिग्री स्तर तक सरकार के द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थानों में निःशुल्क शिक्षा के हकदार बनाए गए हैं, जिसमें पुस्तकों का मूल्य, वर्दी, आवास तथा भोजन की व्यवस्था शामिल है। रोजगार के मामले में मृतक सैनिक के 2 आश्रितों तक को वरीयता प्रदान की जाती है, जिसमें विधवा शामिल है, यह रोजगार कार्यालय में बिना नाम पंजीकृत कराए मिलती है।

स्वनियोजन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने के लिए व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों ने 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक उनके राज्यों के हताहतों को अनुग्रह-पूर्ण भुगतान किए हैं। वे रोजगार तथा आवास आवंटन तथा कृषि भूमि के मामलों में भी सहायता कर रहे हैं।

[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI J. B. PATNAIK) : (a) 3,557 soldiers have been

killed in the last war. 528 were taken prisoners and 210 are missing.

(b) The scheme drawn up for the rehabilitation of war bereaved families and other dependents of deceased soldiers is a package of concessions extended by the Centre and State Governments. The most significant measure is the liberalised pensionary awards under which the nominated heir of a JCO/Jawan receives for life, monthly pension equal to the pay last drawn by the deceased. The widow of an officer receives three-fourths of the basic pay of the rank held by the deceased at the time of his death till his deemed date of retirement or 7 years whichever is later, followed by normal pension of the rank. In addition, children of those killed have been made entitled to free education up to the first-degree level, including cost of books, uniforms, board and lodge in all educational institutions recognised by Govt. In the matter of employment, preferences are being extended up to 2 dependents of the deceased servicemen including the widow without registration with the Employment Exchange. Arrangements have also been made for providing assistance in carrying out self-employment schemes and vocational training. State Governments have paid *ex-gratia* grants ranging from Rs. 1,000 to Rs. 5,000 to casualties belonging to the respective States. They are also assisting in the matter of employment and allotment of accommodation and agricultural land.]

बिहार में पाये जाने वाले खनिज

839. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) बिहार से कौन-कौन से खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और कौन-कौन से स्थानों पर राज्य की सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी प्रगति के लिए इन खनिजों पर आधारित उद्योग लगाये गये हैं या लगाए जाने का विचार है; और